

Email  
Urgent

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र06--विविध-56/2012 4779 /खाद्य, पटना/दिनांक- 18.06.15  
प्रेषक,

रमाशंकर प्र0 दफतुआर,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
सहरसा / प0चम्पारण / दरभंगा / मुजफ्फरपुर / सीतामढ़ी / पटना / नालंदा /  
गोपालगंज / खगड़िया / भागलपुर ।

विषय:- बाढ़ पीड़ित परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण हेतु भारत सरकार से  
प्राप्त खाद्यान्न का अवधि विस्तार के संबंध में ।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र संख्या-3298 दिनांक-  
22.04.2015 एवं पत्र सं0- 4464 दिनांक 08.06.2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट  
करते हुए कहना है कि भारत सरकार के पत्र सं0- 2/Bihar/ 2014-BP-III दिनांक  
01.06.2015 के द्वारा कतिपय पृच्छाएँ की गई है जिससे अविलंब भारत सरकार को  
उपलब्ध कराया जाना है, जो अबतक आपसे अप्राप्त है । कुछ जिलो से इस संबंध में  
प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो कि अस्पष्ट है ।


अतः भारत सरकार का पत्र संख्या- 2/Bihar/ 2014-BP-III दिनांक  
01.06.2015 की छायाप्रति पुनः संलग्न करते हुए कहना है कि भारत सरकार के पत्र में  
की गई पृच्छा के आलोक में स्पष्ट प्रतिवेदन आज ही फैक्स/ई-मेल के माध्यम से  
विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनु० - यथोक्त ।


विश्वासभाजन

  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक - प्र06--विविध-56/2012 4779 /खाद्य, पटना/दिनांक-18.06.15  
प्रतिलिपि - प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, सोन भवन  
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक - प्र06--विविध-56/2012 4779 /खाद्य, पटना/दिनांक-18.06.15  
प्रतिलिपि - संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ  
प्रेषित ।

  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

फा.सं2/बिहार/2014-बीपी-3

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग



कृषि भवन, नई दिल्ली.

दिनांक 1 जून, 2015

उपर्युक्त साधव 2 (श्री सिंह)

मुख्य सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,  
बिहार सरकार,  
मुख्य सचिवालय,  
पटना-800 001

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,  
बिहार सरकार,  
मुख्य सचिवालय,  
पटना-800 001

विषय: बाढ़ राहत के लिए आंबटित खाद्यान्न से शेष बची मात्रा के उठाव की अवधि  
विस्तार के संबंध में बिहार सरकार का अनुरोध।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 30.04.2015 के पत्र के संदर्भ मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य में एनएफएसए के अंतर्गत आंबटित खाद्यान्न से बाढ़ राहत के लिए वितरित की गई मात्रा के बाबत भेजी गई सूचना केवल एक ही जनपद की सूचना है जो पूरे राज्य की स्थिति को स्पष्ट नहीं करती है। अवधि विस्तार के अनुरोध पर इस विभाग द्वारा विचार किए जाने के लिए राज्य सरकार कृपया निम्नलिखित पृच्छा पर स्पष्टीकरण भेजें:

1. वास्तव में एनएफएसए के अंतर्गत आंबटित खाद्यान्न से बाढ़ राहत के लिए उठाव किस माह में किया गया था? यदि जनपदों में अलग-अलग माहों में उठाव किया गया तब जनपदवार सूचना भेजें।
2. बाढ़ राहत का खाद्यान्न किस प्रकार तथा किस दर पर बांटा गया?

भावदीय,

संदीप सक्सेना

(संदीप सक्सेना)

भारत सरकार के अवर सचिव